उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1837–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 21–10(2)–पें0एवंआर0 / 01(टीसी–1), दिनांक : 28 दिसम्बर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 11 नवम्बर, 2021 को सम्पन्न 173वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–3 / 2021 / 324 / 2021 / 65–3–2021–78 / 99टी0सी0, दिनांक 30 जुलाई, 2021 जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह–क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन किया गया है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण निगमों, केस्कों सहित की सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह–क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त शासनादेश को सम्पूर्णता में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. तद्नुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण निगमों, केस्कों सहित की सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह–क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन सम्बन्धी शासनादेश संख्या–3 / 2021 / 324 / 2021 / 65–3–2021–78 / 99टी0सी0, दिनांक 30 जुलाई, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों / व्यवस्थाओं / प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जा रहे हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1837–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 21 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / स्तर–II), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

क्रमशः.....2.

12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 11 नवम्बर, 2021 को पारित प्रस्ताव के अनुपालन में।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

आ0 श्री

(आनन्द श्रीवास्तव)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)

संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0

प्रेषक,

हेमन्त राव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 2021

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह क ख ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन।

महोदय,

दिव्यांगजन के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरसित करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा-33 में दिव्यांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण हेतु पदों के चिन्हांकन किये जाने का प्राविधान है।

2- उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/2018/18/1/2008-का-2/2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा दिव्यांगजन के लिए लोक सेवाओं में 4 प्रतिशत पदों के आरक्षण के आदेश जारी किये गये हैं। इस हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 प्रख्यापित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का एक-एक प्रतिशत खण्ड (क), (ख) एवं (ग) और एक प्रतिशत खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन निम्नलिखित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है:-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि
(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास
(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडि.त और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता
(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक नि:शक्तता, विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता और मानसिक अस्वस्थता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु नि:शक्तता जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नि:शक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है।

3- उक्त के दृष्टिगत पूर्व चिन्हांकन विषयक दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक-13 जनवरी, 2011 को अवक्रमित (निरस्त) करते हुए लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों का पुर्नचिन्हांकन किये जाने का निर्णय लिया गया है। पुर्नचिन्हांकित पदों की सूची संलग्न है।

4- संलग्न सूची में चिन्हांकित पदों के अतिरिक्त समस्त विभागों के समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के शेष सभी पद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-34 के परन्तुक के अन्तर्गत दिव्यांगजन के आरक्षण से उन्मोचित समझे जायेंगे।

5- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजनों के लिए संलग्न सूची में विभागवार चिन्हांकित पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित की जाय। यदि आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत किया जायेगा।

6- कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अवगत करा दें ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

7- यह शासनादेश htpp://shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है ।

संलग्नक- (चिन्हांकित पदों की सूची)

भवदीय,
(हेमन्त राव)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0।
4- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(लाल बहादुर यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30 जुलाई, 2021 का संलग्नक

विभागों की सूची

क्र0सं0	विभाग का नाम	क्र0सं0	विभाग का नाम
1	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग	35	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	36	परिवहन विभाग
3	आबकारी विभाग	37	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
4	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	38	प्राविधिक शिक्षा विभाग
5	आयुष विभाग	39	बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग
6	अतिरिक्त ऊर्जा विभाग	40	बेसिक शिक्षा विभाग
7	उच्च शिक्षा विभाग	41	भाषा विभाग
8	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	42	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
9	ऊर्जा विभाग	43	मत्स्य उत्पादन विभाग
10	कार्मिक विभाग	44	महिला एवं बाल विकास (महिला कल्याण) विभाग
11	कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग	45	माध्यमिक शिक्षा विभाग
12	कृषि विभाग	46	युवा कल्याण विभाग
13	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	47	राजस्व विभाग
14	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग	48	राज्य कर विभाग
15	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	49	राज्य सम्पत्ति विभाग
16	खाद्य एवं रसद विभाग	50	रेशम विकास विभाग
17	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग	51	लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग
18	खेल विभाग	52	लोक निर्माण विभाग
19	ग्राम्य विकास विभाग	53	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
20	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	54	वित्त विभाग
21	गृह विभाग	55	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
22	चीनी उद्योग विभाग	56	सचिवालय प्रशासन विभाग
23	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	57	समाज कल्याण विभाग
24	चिकित्सा शिक्षा विभाग	58	सहकारिता विभाग
25	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग	59	संस्कृति विभाग
26	दुग्ध विकास विभाग	60	सार्वजनिक उद्यम विभाग
27	नगर विकास विभाग	61	सतर्कता विभाग
28	निर्वाचन विभाग	62	सूचना विभाग
29	नियोजन विभाग	63	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
30	नियुक्ति विभाग	64	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
31	न्याय विभाग	65	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
32	पंचायतीराज विभाग	66	श्रम विभाग
33	पशुधन विभाग	67	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग
34	पर्यटन विभाग	68	होमगार्ड विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

CATEGORY ABBREVIATION USED

<u>वर्गीकरण से सम्बन्धित प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ</u>

क्र0 सं0	CATEGORY CODE		ABBREVIATION USED	
	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
1	B.	बी0	Blind	दृष्टिहीनता
2	L.V.	एल0वी0	Low Vision	कम दृष्टि
3	D	डी0	Deaf	बधिर
4	H.H.	एच0एच0	Hard of Hearing	श्रवण शक्ति में ह्रास
5	O.A.	ओ0ए0	One Arm Affected	एक हाथ प्रभावित
6	O.L.	ओ0एल0	One Leg Affected	एक पैर प्रभावित
7	B.A.	बी0ए0	Both Arms Affected	दोनों हाथ प्रभावित
8	B.L.	बी0एल0	Both Legs Affected	दोनों पैर प्रभावित
9	O.A.L.	ओ0ए0एल0	One Arm and One Leg Affected	एक पैर और एक हाथ प्रभावित
10	C.P.	सी0पी0	Cerebral Palsy	प्रमस्तिष्क घात
11	L.C.	एल0सी0	Leprosy Cured	रोगमुक्त कुष्ठ
12	Dw.	डीडब्लू0	Dwarfism	बौनापन
13	A.A.V.	ए0ए0वी0	Acid Attack Victims	एसिड आक्रमण पीडि.त
14	A.S.D.	ए0एस0डी0	Autism Spectrum Disorder	स्वपरायणता
15	S.L.D.	एस0एल0डी0	Specific Learning Disability	विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता
16	I.D.	आई0डी0	Intellectual Disability	बौद्धिक दिव्यांगता
17	M.Dy.	एम0डीवाई0	Muscular Dystrophy	पेशीय दुष्पोषण
18	M.I.	एम0आई0	Mental Illness	मानसिक अस्वस्थता
19	M.D.	एम0डी0	Multiple Disabilities	बहु दिव्यांगता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

ऊर्जा विभाग

9.	ऊर्जा विभाग 1- विद्युत सुरक्षा, निदेशालय	(क)	1- निदेशक	एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			2- संयुक्त निदेशक	एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			3- उप निदेशक	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
		(ख)	सहायक निदेशक	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
		(ग)	1- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			2- प्रशासनिक अधिकारी	एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			3- प्रधान सहायक	एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			4- वैयक्तिक सहायक ग्रेड- 1	एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			5- वैयक्तिक सहायक ग्रेड- 2	एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			6- विद्युत सुरक्षा अधिकारी	एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			7- वरिष्ठ सहायक	एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			8- कनिष्ठ सहायक	एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
		(घ)	---	---
	2- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड	(क)	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक)	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
		(ख)	1- सहायक अभियन्ता (आई0टी)	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			2- लेखाधिकारी	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			3- कार्मिक अधिकारी	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			4- सहायक विधि अधिकारी	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
		(ग)	1- अवर अभियन्ता	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			2- कार्यकारी सहायक	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			3- आशुलिपिक ग्रेड- 3	ओ0एल0, एल0वी0, बी0एल0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			4- सहायक लेखाकार	ओ0ए0, ओ0एल0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			5- लेखालिपिक	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0एल0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			6- अपर निजी सचिव	ओ0एल0, एल0वी0, बी0एल0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			7- सहायक समीक्षा अधिकारी	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

				ए0ए0वी0
			8- कम्प्यूटर सहायक	ओ0एल0, बी0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
		(घ)	1- अनुसेवक/चपरासी	ओ0ए0, ओ0एल0, एच0एच0, एल0वी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			2- श्रमिक	एच0एच0, ए0ए0वी0
	3- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड	(ख)	1- सहायक अभियन्ता (आई0टी0)	ओ0ए0, ओ0एल0, एच0एच0, ए0ए0वी0
			2- लेखाधिकारी	ओ0ए0, ओ0एल0, ए0ए0वी0
			3- कार्मिक अधिकारी	ओ0ए0, ओ0एल0, ए0ए0वी0
		(ग)	1- अवर अभियंता (वि0/यॉ)/जनपद	ए0ए0वी0
			2- कार्यालय सहायक	ओ0ए0, ओ0एल0, एच0एच0, ए0ए0वी0
			3- आशुलिपिक ग्रेड- 3	ओ0एल0, बी0एल0, ए0ए0वी0
			4- सहायक लेखाकार	ओ0ए0, ओ0एल0, ए0ए0वी0
			5- लेखालिपिक	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0एल0, एच0एच0, ए0ए0वी0
			6- अपर निजी सचिव	ओ0एल0, ए0ए0वी0
			7- सहायक समीक्षा अधिकारी	ओ0ए0, ओ0एल0, एच0एच0, ए0ए0वी0
			8- कम्प्यूटर सहायक	ओ0एल0, बी0एल0, एल0वी0, एच0एच0,ए0ए0वी0
			9- रसायनज्ञ ग्रेड- 2	ए0ए0वी0
			10- लैब असिस्टेन्ट	ए0ए0वी0
			11- सहायक लाइब्रेरियन	ओ0ए0, ओ0एल0
		(घ)	1- अनुसेवक/चपरासी (मुख्यालय संवर्ग)	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, ए0ए0वी0
			2- श्रमिक	एच0एच0, ए0ए0वी0

कार्मिक विभाग

10.	कार्मिक विभाग 1-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधक अकादमी लखनऊ	(ग)	1- आशुलिपिक ग्रेड-2	ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			2- वरिष्ठ आशुलिपिक/ आशुलिपिक	ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			3- कनिष्ठ सहायक/टंकक	ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			4- रिसर्च असिस्टेन्ट	ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम डाटा इण्ट्री आपरेटर	ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
			6- हास्टल गेस्ट हाउस मेस प्रभारी	ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।